"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 191] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 मई 2018 — ज्येष्ठ 10, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 मई 2018

अधिसूचना

क्रमांक 5238/86/21-ब/छ. ग./2018. — छत्तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 9 सन् 1992) के अध्याय-3 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के बैठक दिनांक 16-01-2018 के कार्यसूची विषय क्रमांक 4 के अनुसार एडव्होकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल लागू कराने के लिये उक्त विषय पर विचार बाबत् सुझाव दिये जाने हेतु निम्नांकित सदस्यों की एक उप-समिति निर्मित करती है :-

1.	श्री पंकज कुमार सिन्हा अतिरिक्त सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर	-	अध्यक्ष
2.	श्री के. के. शुक्ला अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास, छ. ग. राज्य विधिज्ञ परिषद्, बिलासपुर	-	सदस्य
3.	श्री प्रफ्फुल भारत अतिरिक्त महाधिवक्ता महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर	-	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.